	खारिज करना उचित नहीं है। अत: न्यायहित में न्यायालय स्तर से पत्र जारी कर वादी रूपनारायण को मुकदमे में सुनवाई हेतु बुलाया जावे। पत्रावली दि० २२-४-१९ को पेश हो।
	२२-४-१९ पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादीगण उप० हैं। वादी रूपनारायण को इस न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस/सूचना पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार वादी ने नोटिस/सूचना की एक प्रति प्राप्त कर ली एवं प्राप्ति के हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। आज वह हाजिर अदालत भी नहीं हुआ है। अत: पत्रावली वास्ते बहस आपत्ति प्रतिवादी नं० 1 दि० २५-४-१९ को पेश हो।
२५-४-१९	वकील प्रतिवादीगण उपस्थित हैं। वादी व उनके वकील उपस्थित नहीं हैं। प्रतिवादी नं० 1 के वकील को उनकी आपत्ति पर सुना गया। प्रतिवादी नं० 3, 4, 5, 6 के वकील विभाजन स्कीम अनुसार भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज करने पर सहमत हैं। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 1-5-2019 को पेश हो।
1-5-19	पत्रावली पेश हुई। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। अत: निर्णय हेतु पत्रावली दि० 8-5-19 को पेश हो।
8-5-19	वकील प्रतिवादीगण उप०। प्रतिवादी नं० 1 की आपत्ति खारिज की जाती है एवं तहसीलदार गंगापुर से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, [illegible]

कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible]/2016	30.5.2016	8-5-2019

[illegible] पुत्र बृजलाल, मीना नि0 डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी ––वादी

बनाम

1. लक्खीराम पुत्र बृजलाल, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
2. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, औद्योगिक क्षेत्र सालोदा गंगापुर सिटी
3. छुट्टनलाल पुत्र मूल्या, मीना निवासी खिदरपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. रामकेश पुत्र मूल्या, मीना निवासी खिदरपुर तहसील गंगापुर सिटी
5. घनश्याम पुत्र मूल्या, मीना निवासी खिदरपुर तहसील गंगापुर सिटी
6. करणसिंह पुत्र मूल्या, मीना निवासी खिदरपुर तहसील गंगापुर सिटी
7. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री आर0डी0त्रिवेदी, एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 1,3,5,6 की ओर से
श्री आर0के0 मिश्रा, एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 2 की ओर से
श्री भानु कुमार सिंघल, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की भूमि ख0नं0 6181 रकबा 1.92 हैक्टर ग्राम उदेईकलां में स्थित है जिसमें 0.83 हैक्टर रकबा वादी का है, 0.83 हैक्टर रकबा प्रतिवादी लक्खीराम का है तथा 0.26 हैक्टर रकबा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 की माता मृतक श्रीमती गुलबी पत्नि मूल्या का है। उक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन नहीं हुआ है। भूमि सहखातेदारी में चली आ रही है इसलिए आये दिन सहखातेदारों के मध्य विवाद पैदा होते रहते हैं। वादी वृद्ध व्यक्ति है। प्रतिवादी सं0 1 वादी को उसके हिस्से की फसल से लाभान्वित नहीं होने देता है। दि0 11.5.2016 को प्रतिवादीगण से वादी ने तहसील में चलकर सहमति से भूमि का विभाजन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी नं0 1 ने मना कर दिया। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 6181 रकबा 1.92 हैक्टर ग्राम उदेईकलां का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मीट्स एण्ड बाण्ड्स से पृथक पृथक विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

लक्खीराम को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादी के हिस्से एवं कब्जे काश्त में ना तो स्वयं बाधा पैद करे ना ही किसी अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी सं0 1 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 दोनों ही स्व0 बृजलाल प्रधान के पुत्र हैं। स्व0 बृजलाल ने अपनी पत्नि जसोदा के नाम साबिक ख0नं0 1647 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा, ख0नं0 1648 रकबा 7 बीघा 5 विस्वा भूमि खरीदी थी जिसके सेटिलमेंट में नवीन नम्बर 6181 रकबा 2.03 है0, ख0नं0 6182 रकबा0.19 है0, ख0नं0 6183 रकबा 0.13 है0 बने। इनमें से भूमि ख0नं0 6181 में से 0.11 है0 भूमि अवाप्त हो गई व शेष 1.92 है0 भूमि जसोदा के खाते में दर्ज रही। ख0नं0 6182 व 6183 में से भी भूमि सडक में अवाप्त हुई। ख0नं0 6181 में शेष रही 1.92 है0 भूमि में से 0.26 है0 भूमि श्रीमती गुलाबी को बेचान कर दी जिसका इन्द्राज क्रेता के नाम हो गया। जसोदा ने ख0नं0 6181 में से कुछ भूमि मलोसी, मूल्या व अन्य बैरवान को बेच दी। तथा 30 गुणा 40 फीट साइज के 4 प्लाट गिर्राज प्रसाद पुत्र रामसुखा मीना निवासी विनेगा को विक्रय किए व शेष रही भूमि के मौके पर दो हिस्से हो रहे हैं। भूमि जसोदा के नाम बृजलाल ने खरीदी थी और बृजलाल जी की मृत्यु के बाद वादी रूपनारायण ने जसोदा को बहकाकर भूमि का बेचान करने की साजिश रची व प्रतिवादी लक्खीराम को उसके हक से वंचित कराना चाहा तो प्रतिवादी लक्खीराम ने एक दावा जसोदा व रूपनारायण के विरूद्ध घोषणां खातेदारी व विभाजन का किया। दौराने दावा जसोदा की मृत्यु हो जाने पन लक्खीराम ने दावा खारिज करवा लिया। विरासत में ख0नं0 6181 का इन्द्राज लक्खीराम व रूपनारायण के नाम आया । वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 का सम्पूर्ण 1.66 है0 भूमि पर कब्जा नहीं है। बैरवाओं व गिर्राज को बेचे गए भू–भाग के बाद बचे हुए उत्तरी हिस्से पर लक्खीराम का व दक्षिणी हिस्से पर रूपनारायण का कब्जा है। एक दुपल्ला पाटोर बनी हुई है। दुपल्ला पाटोर के उत्तरी तरफ लक्खी राम का व दक्षिणी तरफ रूपनारायण का हिस्सा है। इसी अनुसार विभाजन किए जाने में प्रतिवादी को कोई आपत्ती नहीं है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि बैरवाओं, गिर्राज को बेची गई भूमि व प्रतिवादी नं0 3,4,5,6 की 0.26 है0 भूमि पृथक करते हुए शेष बची भूमि का मुताबिक कब्जा मौका वादी व प्रतिवादी नं0 1 के मध्य विभाजनकर दिया जावे।

प्रतिवादी सं0 2 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 के यहां रहन रखा हुआ है जिसका इन्द्राज राजस्व कागजात में भी हो रहा है। अतः वादी का वाद प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्ध खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी सं0 3, 4, 5, 6 ने अपने जबाब दावे मे अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि में गुलबी पत्नि मूल्या मीना के नाम 0.26 है0 रकबा दर्ज है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

गुलबी पत्नि मूल्या मीना की मृत्यु हो चुकी है एवं प्रतिवादी नं0 3, 4, 5, 6 उसके पुत्र व वारिस हैं। पिता मूल्या का भी निधन हो चुका है। प्रतिवादी सं0 3, 4, 5, 6 का 0.26 है0 रकबा मौके पर अलग हो रहा है जिसका प्रतिवादीगण शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। अतः ख0नं0 6181 में से 0.26 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 3, 4, 5, 6 के नाम पृथक से दर्ज कर खाता अलग कर दिया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः—

1. आया भूमि ख0नं0 6181 रकबा 1.92 है0 ग्राम उदेईकलां वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें 0.83 है0 वादी का, 0.83 है0 प्रतिवादी सं0 1 का व 0.26 है0 प्रतिवादी सं0 3 लगायत 6 का हिस्सा है। ——वादी

2. आया दि0 11.5.2016 को प्रतिवादीगण भूमि का विभाजन कराने से मना कर दिया फलस्वरूप वादी उपरोक्त भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन करवाकर भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज करवाने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकरी है। ——वादी

3. आया वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 की मां श्रीमती जसोदा की खातेदारी की भूमि रही है जिसमें से उन्होने 0.26 है0 भूमि श्रीमती गुलाबी को बेचान कर दी जिसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0 3 लगायत 6 उस पर काबिज हैं, कुछ भूमि भरोसी, मूल्या व अन्य बैरवाओं को बेच दी जिसके चारो तरफ उन्होने बाण्उड्रीवाल बना रखी है तथा 30 वाई 40 फीट साइज के 4 प्लाट गिर्राज पुत्र रामसुखा मीना निवासी विनेगा को बेच दिए तथा शेष भूमि के दो हिस्से हो रहे हैं जिनमें उत्तरी हिस्से पर प्रतिवादी सं0 एक एवं दक्षिणी हिस्से पर वादी काबिज है। इसी अनुसार भूमि का विभाजन होना आवश्यक है। ——प्रतिवादी नं0 1

4. आया वादग्रस्त भूमि में 0.26 है0 भूमि श्रीमती गुलबी की खातेदारी व हिस्से की भूमि है एवं श्रीमती गुलबी के निधन के बाद प्रतिवादी सं0 3, 4, 5, 6 इस भूमि पर काबिज है एवं 0.26 है0 भूमि का इन्द्राज खातेदारी इनके नाम पृथक से दर्ज होना आवश्यक है। ——प्रतिवादी सं0 3 ता 6

5. अनुतोष।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 ग्राम उदेईकलां प्रस्तुत की है।

दिनांक 15.11.2017 को उभयपक्ष के विद्वान वकील दावे में भूमि विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन स्कीम मंगवाने पर सहमत हुए हैं। अतः वादग्रस्त भूमि ख0नं0 6181 रकबा 1.92 हैक्टर ग्राम उदेईकलां

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

में दर्ज खातेदारों के हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार उपरोक्त भूमि की विभाजन स्कीम मंगवाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से उनके पत्रांक राजस्व/ 2019/ 399 दिनांक 2.4.2019 के साथ विभाजन स्कीम प्राप्त हुई।

विभाजन स्कीम पर प्रतिवादी नं0 1 ने आपत्ती प्रस्तुत की। आपत्ती में प्रतिवादी नं0 1 ने अंकित किया है कि बंटवारा स्कीम में ख0नं0 6181/2, 6181/3 व 6181/4 के रूप में उक्त आराजी को वादी रूपनारायण व प्रतिवादी सं0 1 के शामिल में रखा है जबकि वादी द्वारा सम्पर्ण आराजी के विभाजन हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। इसलिए सम्पूर्ण आराजी को ही विभाजित करना चाहिए था। बंटवारा स्कीम में प्रस्तावित ख0न0 6181/4 व 6181/5 के बीच जो सीमा दर्शायी गई है वह बिल्कुल सीधी रेखा नही है बल्कि मौके पर उक्त जमीन उक्त स्थान पर बिलकुल सीधी लाईन मे विभाजित है। इसी तरह प्रस्तावित नम्बर 6181/3 जो बनाया गया है वह पूर्वी सिरे पर सकडा है तथा पश्चिमी सिरे पर चौडा है जबकि यह भूमि वर्तमान मे रास्ते के काम आ रही है जो समानान्तर चौडाई मे है। इसी तरह प्रस्तावित ख0न0 6181/6 का उत्तरी हिस्सा कम करके दर्शाया गया है। बटवारा स्कीम मे प्रस्तावित ख0न0 6181/5 वादी को व 6181/6 प्रतिवादी संख्या 1 को किस प्रकार दिया गया है इसका कोई आधार अंकित नही है। बटबारा स्कीम मे भूमि के जो खंड किये गये है उनकी कोई नाप भी नही दर्शायी है। जिससे भविष्य मे पक्षकारो मे विवादो मे पूरी पूरी संभावना है। अतः बटवारा स्कीम अपूर्ण व गलत होने के कारण रिजेक्ट किये जाने योग्य है। अतः विभाजन स्कीम निरस्त फरमायी जाकर पुनः सही बटवारा स्कीम मंगवाई जावे।

प्रस्तुत मामले मे आपत्ति पर बहस हेतु वादी की ओर से उनका वकील एवं स्वयं वादी उपस्थित नही हुए। वादी के वकील श्री मोहम्मद इस्लाम एडवोकेट ने बताया कि वादी उनसे पत्रावली ले जा चुका है। इसलिए वे पैरवी करने मे असमर्थ है। इस पर इस न्यायालय से वादी को दिनांक 22.4.19 को न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रकरण मे पैरवी करने हेतु सूचना जारी की गई। इस सूचना को वादी ने ले तो लिया लेकिन इस पर प्राप्ति करने से इंकार कर दिया और वादी अदालत मे भी उपस्थित नही हुआ।

प्रतिवादी न0 1 के विद्वान अभिभाषक को उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक ने आपत्ति प्रार्थना पत्र मे दर्ज विवरण के अनुसार अपनी बहस करते हुए विभाजन स्कीम पुनः मगाने का अनुरोध किया।

आपत्ति प्रार्थना पत्र पर, प्राप्त विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। विभाजन स्कीम मे दर्ज विवरण के अनुसार ख0न0 6181/2 रकबा 4 एयर मे पाटौर एवं कुण्डा बना हुआ है। ख0न0 6181/3 रकबा 8 एयर मे

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मौके पर मोरम डली हुई है जो रास्तेनुमा लगती है। ख0न0 6181/4 रकबा 42 एयर मे बाउन्ड्री एवं प्लाटिंग होकर दासाबंदी की हुई है। ख0न0 6181/1 रकबा 26 एयर की पृथक से बाउन्ड्री की हुई है। ख0न0 6181/5 व 6181/6 मौके पर संयुक्त रूप से पडत पडे हुए है।

प्रतिवादी नं0 1 द्वारा यह आपत्ती की गई है कि ख0नं0 6181/2, 6181/3, 6181/4 को वादी व प्रतिवादी सं0 1 की संयुक्त खातेदारी में रखा है जबकि सम्पूर्ण भूमि के विभाजन का दावा किया गया है इसलिए सम्पूर्ण भूमि विभाजित की जावे। इस सम्बन्ध में हमारा यह मानना है कि उपरोक्त नम्बरो की भूमि में जो मोरम डली हुई है एवं प्लाटिंग होकर बाउन्ड्री हो रही है वह किसके द्वारा की गई है यह तथ्य वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ने स्पष्ट नहीं किया है एवं ना ही किसी स्वतंत्र साक्ष्य से यह तथ्य वाद में प्रमाणित किया गया है इसलिए उपरोक्त भूमि को दोनों पक्षो की संयुक्त खातेदारी में रखा गया है। इसी प्रकार ख0नं0 6181/4 व 6181/5 के मध्य जो सीमा रेखा दर्शाई गई है ख0नं0 6181/3 में जो मोरम बिछी हुई है उसकी जितनी लम्बाई है उसका आधा आधा हिस्सा वादी व प्रतिवादी नं0 1 को नियमानुसार दिया जाना आवश्यक था एवं इसी अनुसार आधी आधी भूमि पर सीमारेखा बनाई गई है । चूंकि ख0नं0 6181/5 व 6181/6 का कुल रकबा 1.12 है0 होता है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा है इसलिए इस हिस्से की भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 को देने हेतु सीमा रेखा बनाई गई है जिससे भूमि की सीमारेखा सीधी नहीं होकर 56–56 एयर भूमि की नाप के अनुसार जहां से भी बनती है वहीं डाली गई है। इस प्रकार हमारी राय में विभाजन स्कीम मौके की स्थिति के अनुसार एवं पक्षकारों के हिस्से की भूमि के अनुसार बनाई गई है । विभाजन स्कीम अपने आप में पूर्ण व नियमानुसार है इसलिए प्रतिवादी नं0 1 की आपत्ती आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:–

1. प्रकरण में खातेदार गुलबी पत्नी मूल्या जाति मीना निवासी ग्राम खिदरपुर का देहान्त हो चुका है एवं उसके पुत्रों को दावे में प्रतिवादी नं0 3, 4, 5, 6 के रूप में नियोजित किया हुआ है । अतः भूमि ख0नं0 6181/1 रकबा 26 एयर ग्राम उदेईकलां स की खातेदारी घूडमल, रामकेश, घनश्याम, करणसिंह पुत्रगण मूल्या जाति मीना निवासी खिदरपुर के नाम दर्ज रहेगी।
2. रूपनारायण पुत्र बृजलाल जाति मीना हिस्सा 1/2 बिला रहन, लक्खी पुत्र बृजलाल हिस्सा 1/2 राहिन एस0बी0बी0जे0 औ0क्षेत्र सालोदा गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

जाति मीना निवासी डिवस्या की खातेदारी में भूमि ख0नं0 6181/2 रकबा 4 एयर, ख0नं0 6181/3 रकबा 8 एयर, ख0नं0 6181/4 रकबा 42 एयर कुल रकबा 54 एयर ग्राम उदेईकलां स रहेगी ।

3. रूपनारायण पुत्र बृजलाल जाति मीना निवासी डिवस्या की खातेदारी में भूमि ख0नं0 6181/5 रकबा 56 एयर ग्राम उदेईकलां स रहेगी ।

4. लक्खी पुत्र बृजलाल जाति मीना निवासी डिवस्या राहिन एस0बी0बी0जे0 औ0क्षेत्र सालोदा गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि ख0नं0 6181/6 रकबा 56 एयर ग्राम उदेईकलां स रहेगी ।

उपरोक्तानुसार पक्षकारो के नाम पृथक पृथक खाते कायम किये जाकर पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे। इसी अनुसासर राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 8-5-2019 को सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अब अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

रूपनारायण पुत्र बृजलाल, मीना नि0 डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी ––वादी

बनाम

1. लक्खीराम पुत्र बृजलाल, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
2. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, औद्योगिक क्षेत्र सालोदा गंगापुर सिटी
3. घूडमल पुत्र मूल्या, मीना निवासी खिदरपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. रामकेश पुत्र मूल्या, मीना निवासी खिदरपुर तहसील गंगापुर सिटी
5. घनश्याम पुत्र मूल्या, मीना निवासी खिदरपुर तहसील गंगापुर सिटी
6. करणसिंह पुत्र मूल्या, मीना निवासी खिदरपुर तहसील गंगापुर सिटी
7. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –41/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी –– मिनजानिब मुद्दई श्री आर0डी0 त्रिवेदी, एडवोकेट, श्री भानु कुमार सिंघल, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:–

1. प्रकरण में खातेदार गुलबी पत्नी मूल्या जाति मीना निवासी ग्राम खिदरपुर का देहान्त हो चुका है एवं उसके पुत्रों को दावे में प्रतिवादी नं0 3, 4, 5, 6 के रूप में नियोजित किया हुआ है । अतः भूमि ख0नं0 6181/1 रकबा 26 एयर ग्राम उदेईकलां स की खातेदारी घूडमल, रामकेश, घनश्याम, करणसिंह पुत्रगण मूल्या जाति मीना निवासी खिदरपुर के नाम दर्ज रहेगी।
2. रूपनारायण पुत्र बृजलाल जाति मीना हिस्सा 1/2 बिला रहन, लक्खी पुत्र बृजलाल हिस्सा 1/2 राहिन एस0बी0बी0जे0 औ0क्षेत्र सालोदा गंगापुर सिटी जाति मीना निवासी डिवस्या की खातेदारी में भूमि ख0नं0 6181/2 रकबा 4 एयर, ख0नं0 6181/3 रकबा 8 एयर, ख0नं0 6181/4 रकबा 42 एयर कुल रकबा 54 एयर ग्राम उदेईकलां स रहेगी ।
3. रूपनारायण पुत्र बृजलाल जाति मीना निवासी डिवस्या की खातेदारी में भूमि ख0नं0 6181/5 रकबा 56 एयर ग्राम उदेईकलां स रहेगी ।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

4. लक्खी पुत्र बृजलाल जाति मीना निवासी डिवस्या राहिन एस0बी0बी0जे0 औ0क्षेत्र सालोदा गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि ख0नं0 6181/6 रकबा 38 एयर ग्राम उदेईकलां स रहेगी ।

उपरोक्तानुसार पक्षकारो के नाम पृथक पृथक खाते कायम किये जाकर पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे। इसी अनुसासर राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 8-5-2019 को जारी किया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुददई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.28 11:16:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: